जिला साक्षरता वाहिनी का कार्यालय, धनबाद

पुनः अल्पकालीन निविदा

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायतों में अधिष्ठापित लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरकों के पहचान पत्र एवं पंचायत में अवस्थित लोक शिक्षा केन्द्र के लोकेशन के लिए बोर्ड हेतु पुनः अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग एक मोहर बंद लिफाफे में दिनांक 26.07.2017 के 2:00 बजे अपराह्न तक जिला साक्षरता वाहिनी कार्यालय, गोल्फ ग्राउण्ड धनबाद में कार्य दिवस एवं कार्यावधि में जमा कर सकते है। निविदा दिनांक 26.07.2017 को 3:00 बजे अपराह्न में प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

क्रय की जानेवाली सामग्री निम्नवत है:–

क्र0	कार्य विवरणी
01	प्रेरक पहचान –पत्र (फोटो सहित, फाइवर सीट मल्टीकलर प्रिंट एवं रिबन सहित)
02	पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र का साईन बोर्ड (फलेक्स बोर्ड आयरन फ्रेमिंग के साथ साईज 3'0" x 2'0")
03	प्रखंड मुख्यालय में साईन बोर्ड (फलेक्स बोर्ड आयरन फ्रेमिंग के साथ साईज 8'0" x 6'0")
04	मुख्य सड़क पर पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र का Location चिन्हित करने हेतु साईन बोर्ड –स्टेण्ड एवं लिखाई के साथ (साईन बोर्ड साईज, 3'0" x 2'0", Angle – 65 mm x 65 mm x 6 mm, G.I. sheet -1 mm, फ्रेम के साथ स्टेण्ड के दोनो एंगल की लम्बाई आठ–आठ फीट, जिसमें दो फीट जमीन के अन्दर सिमेन्ट कंक्रीटींग)

निविदा की शर्त्ते :–

1. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय कृत बैंक के 5,000 रू0 का बैंक डाफ्ट **जिला साक्षरता वाहिनी, धनबाद** के नाम जमा करना होगा, जो क्रय समिति के बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रधन की राशि वापस की जायेगी अथवा अवैध आचरण या तय समय पर सामग्री आपूर्ति नही करने पर उक्त अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. **तकनीकी एवं वित्तीय** बीड अलग–अगल एक मोहर बंद लिफाफा में डाल कर देना होगा।
3. तकनीकी बीड पहले खोला जायेगा। तकनीकी बीड में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
4. **तकनीकी निविदा की शर्ते–** झारखंड में GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रमाण पत्र, निविदा में जो वस्तुए हैं उसमें निविदादाता आवश्यक रूप से GST (वस्तु एवं सेवा कर) में निवंधित होना चाहिए, आयकर रिर्टन की अद्यतन प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, राज्य कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, निविदा से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एवं अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलंग्न करना अनिवार्य होगा, काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत संलग्न करना आवश्यक है।
5. **वित्तीय बीड** में केवल सामग्री का दर अलग– अलग निर्धारित करना होगा।
6. सामग्री की आपूर्ति जिला से निर्धारित मात्रा में जिले के 8 प्रखंडों के प्रखंड साक्षरता वाहिनी कार्यालय में पहुँचाकर करना होगा तथा प्रखंड मुख्यालय का साईन बोर्ड एवं मुख्य मार्ग में आनेवाले पंचायतों के लोक शिक्षा केन्द्र के लोकेशन चिन्हित करनेवाले साईन बोर्ड स्थापित (Cement Concreeting) करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय अथवा हथालन व्यय देय नही होगा।
7. किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या सरकारी अनुदेश के आलोक में अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
8. सभी सामग्रियों का दर सभी राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) एवं केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर (CGST) सहित अंकित करना होगा।
9. PR-164203 (Dhanbad)17-18 दिनांक 06.06.2017 को प्रकाशित किया गया था।

04.7.17

जिला शिक्षा पदाधिकारी
–सह–सचिव
जिला साक्षरता वाहिनी
धनबाद।

4/7/17

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला साक्षरता वाहिनी
धनबाद।